19.11.2025	पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि दिनांक 28.10.2025 की जगह दिनांक 29.10.2025 सहबन से अधिवक्ता द्वारा नोट कर ली गई थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर ऐसा नही किया गया है। अपीलान्ट व अपीलान्ट के वकील की गैर हाजरी से अपील दिनांक 28.10.2025 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। प्रार्थी को प्रथम बार अपील खारिज होने की जानकारी दिनांक 29.10.2025 को जब न्यायालय मे उपस्थित हुए तब जानकारी हुई। जिसके बाद दिनांक 30.10.2025 को अतिशीध्र यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः आदेश दिनांक 28.10.2025 को अपास्त करने का आदेश प्रसारित कर न्यायहित में प्रार्थी की अपील पुनः रेस्टोर करने के आदेश फरमावे। अप्रार्थी के अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र **रेस्टोरेशन** पेश कर कथन किया कि अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र बिना वकालतनामा पेश किया है, रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र चल नही सकता, खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन में यह कथन किया कि डायरी में दिनांक 28.10.2025 उक्त अपील नोट नही थी जबकि तारीख पेशी 28.10.2025 नोटेड थी तथा यह कथन कि तारीख 29.10.2025 मे नोट थी जो गलत कथन है। प्रमाण पेश नही। अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र सफिसियंट कोज के अभाव अनकम्पलीट प्रार्थना पत्र होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1973 पृष्ठ 576, RRD 1994 पृष्ठ 433, RRD 1997 पृष्ठ 290, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर

हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेज का विश्लेषण एवं अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र तथा बहस मे किये गये कथनो के आधार पर न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 28.10.2025 को रिकॉल किया जाकर अपील को रेस्टोर किया जाता है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूल अपील के साथ सलग्न हो।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर